

## केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु-560 068

केरेबो- 28(12)/06-प्रशा/खण्ड- III

दिनांक: 04/06/2013

### परिपत्र

विषय :- प्रस्ताव भेजते समय बजट शीर्ष उल्लिखित करने के संबंध में ।

\*\*\*\*\*


सभी संस्थान / एककों को सलाह दी जाती है कि सक्षम प्राधिकारी से व्यय मंजूरी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए क्रय प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालय को भेजते समय निम्नलिखित सूचना शामिल/ उल्लिखित करें ।

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| (क) बजट शीर्ष      | - | अनुसंधान व विकास योजना / बीज क्षेत्र / विपणन व समन्वयन ( एच आर डी)/ क्यू सी एस |
| (ख) वस्तु शीर्ष    | - | राजस्व (31)<br>पूँजी (35)  |
| (ग) परियोजना व कोड | - | आर सी एस द्वारा दिये गये अनुसार  |

वर्ष 2013-14 के लिए बजट आबंटन का विवरण के.का. पत्र सं केरेबो-1(1)/2013-14/बजट / लेखा दिनांक 2/5/2013 द्वारा सभी संस्थानों को पहले ही भेजा गया है ।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।



[सी.ए.सी.बी.प्रभाकर गुप्ता]

संयुक्त निदेशक [वित्त]

CENTRAL SILK BOARD  
BANGALORE-560068

NO.CSB-28(12)/06-Admn/VOL.III

Date: 04/06/2013

**CIRCULAR**

Sub: Indication of Budget Head while  
forwarding the proposals- reg.

All the Institutes/Units are advised to include/mention clearly the following information while sending the purchase proposals for the year 2013-14 to Central Office for obtaining expenditure sanction of Competent Authority:

- a. Budget Head - R&D Scheme/Seed Sector/Marketing & Co-ordination (HRD)/QCS
- b. Object Head - Revenue (31)  
Capital (35)
- c. Project & Code - As given by RCS

The details of budget allocation for the year 2013-14 had already been sent to all the institutes vide CO letter NO.CSB-1(1)/2013-14/Budget/Accts dated 2/5/2013.

Please acknowledge the receipt of this Circular

This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(CA C.B.PRABHAKAR GUPTA)  
Joint Director (Finance)